

कार्यालय कलेक्टर/लाइसेन्स प्राधिकारी, सीतापुर।
(आबकारी अनुभाग)

संख्या- 759 / जि०आ०अ० / व्यवस्थापन / ई-टेंडर / 2019-20 / सीतापुर

दिनांक- 17.05.2019

विज्ञापित

भ्रष्टसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-114/2018/4030 ई-2/तेरह-2018-02/2018 दिनांक 25.12.2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक) हेतु घोषित आबकारी नीति के अनुक्रम में शासन के पत्रसं०-1049 ई-2/तेरह-2019-02/2018 लखनऊ दिनांक 16.05.2019 व कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० के पत्रसं०-2544/सी०ई०अ०-1/लखनऊ दिनांक 09.05.2019 के क्रम में आबकारी आयुक्त, उ०प्र० प्रयागराज के पत्रसं०-5581-5656/दस-लाइसेन्स-367/सुझाव आबकारी नीति/2019-20 दिनांक 16.05.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद सीतापुर की देशी मदिरा की अत्यवस्थित 20 दुकानों का वर्ष 2019-20 हेतु व्यवस्थापन छठे चरण में ई-टेंडर/आफर के माध्यम से किया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं०	देशी मदिरा दुकान	शाप आई० डी०	प्रारिथति	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित वार्षिक एम०जी०क्यू० (36% VV)	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस (MGQX 30) (रु० में)	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस (MGQX 222) (रु० में)	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित वार्षिक धनराशि (MGQX 222/10) (रु० में)	धरोहर धनराशि (MGQX 30/10) (रु० में)	आवेदन हेतु वांछित हिसियत प्रमाणपत्र अथवा अधिकतम आयकर वसुलद्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र (मूलरूप में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कनवाखंडा	6680	ग्रामीण	7094	212820	1574868	157487	21282	297948
2	बडौरा (एन०एच०-24 से 220 मी० दूर)	7357	ग्रामीण	4794	143820	1064268	106427	14382	201348
3	स्टेशन रोड नि० भार्गव गेस्ट हाउस	7765	न०पा०	15755	472650	3497610	349761	47265	661710
4	हाकरगढ़ी	8140	ग्रामीण	11392	341760	2529024	252903	34176	478464
5	बलाकानगर (एन०एच०-24 से 220 मी० दूर)	8669	ग्रामीण	5349	160470	1187478	118748	16047	224658
6	मुंडकला	9002	ग्रामीण	4188	125640	929736	92974	12564	175896
7	गुजिया लाइन महोली	10849	न०पा०	5036	151080	1117992	111800	15108	211512
8	पिसावा रोड चौकोनिया	10956	ग्रामीण	11513	345390	2555886	255589	34539	483546
9	उरदौली (एन०एच०-24 से 220 मी० दूर)	10992	ग्रामीण	10232	306960	2271504	227151	30696	429744
10	एस०आर०पेटोलपम्प (कचूरी) (एन०एच०-24 से 220 मी० दूर)	11020	ग्रामीण	1391	41730	308802	30881	5000	58422
11	नेरी क्रासिंग (एन०एच०-24 से 220 मी० दूर)	11039	ग्रामीण	6587	197610	1462314	146232	19761	276654
12	मुंडाहसा (कटीली से स्था०)	11065	ग्रामीण	3785	113550	840270	84027	11355	158970
13	बम्बीरा (रमपुरवा से स्था०)	11176	ग्रामीण	3267	98010	725274	72528	9801	137214
14	मडिया (एन०एच०-24 से 220 मी० दूर)	11192	ग्रामीण	4277	128310	949494	94950	12831	179634
15	रामकुण्डपुर	12621	ग्रामीण	4571	137130	1014762	101477	13713	191982
16	जोशीटोला	12732	न०पा०	46009	1380270	10213998	1021400	138027	1932378
17	गोडियनपुरवा	15265	ग्रामीण	4058	121740	900876	90088	12174	170436
18	इब्राहीमपुर	15274	ग्रामीण	2087	62610	463314	46332	6261	87654
19	गुलशामक	16179	ग्रामीण	9912	297360	2200464	220047	29736	416304
20	रामपुर मधुस रोड महमूदाबाद	16256	न०पा०	21864	655920	4853808	485381	65592	918288


इस चरण में उपरोक्त दुकानों का व्यवस्थापन ई-टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित दुकान की प्रोसेसिंग फीस एवं जी०एस०टी० अनिवार्य रूप से एन०ई०एफ०टी० / आर०टी०जी०एस० के माध्यम से उप आबकारी आयुक्त(लाइसेन्सिंग) और सहायक लेखाधिकारी, उ०प्र० एक्ससाइज (DEC L AND AAO UPEXCISE PRAYAGRAJ) के पदनाम से पंजाब नेशनल बैंक, विपुल खण्ड लखनऊ स्थित बचत खाता संख्या-4483000100050375 में जमा करना होगा। पंजाब नेशनल बैंक, विपुल खण्ड लखनऊ शाखा का आई०एफ०एस०सी० कोड PUNB0448300 है।


- आवेदन पत्र में भुगतान से सम्बन्धित यू०टी०आर नम्बर भरा जायेगा। धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार की जायेगी। यह बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एवं जिला आबकारी अधिकारी सीतापुर के पक्ष में देय होना चाहिये।
- प्रोसेसिंग फीस एवं जी०एस०टी० की निर्धारित धनराशि आ०टी०जी०एस० / एन०ई०एफ०टी० द्वारा किये गये भुगतान की बैंक रसीद एवं पूर्व निर्धारित आवश्यक प्रपत्र यथा-हिसियत प्रमाण पत्र/अधिकृत आयकर वसुलद्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि प्रपत्र भी स्कैन करके ई-टेंडर पोर्टल के टेक्निकल विड सेक्शन में अपलोड करना आवेदक के लिये अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल के फाइनेन्सियल विड सेक्शन में अपलोड की जायेगी, जो आवेदक द्वारा प्रस्तुत आफर/टेंडर (एम०जी०क्यू०३०/१०) से कम स्वीकार्य नहीं होगी।
- जनपद सीतापुर के कलेक्टर सभागार में ई-टेंडरिंग कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रक्रिया में सम्मिलित होने की इच्छुक जनता के साथ प्री-विड मीटिंग दिनांक 20.05.2019 को अपरान्ह 11:00 बजे आहूत की गयी है।
- ऑनलाइन ई-टेंडरिंग आवेदन हेतु कार्यक्रम निम्नवत् है :-

1	Tender publishing date	
2	Document download start date	17.05.2019 at 15:30
3	Document download end date	17.05.2019 at 15:30
4	Pre bid meeting date	25.05.2019 at 09:00
5	Bid submission start date	20.05.2019 at 11:00
6	Bid submission closing date	17.05.2019 at 17:30
7	Technical bid opening date	25.05.2019 at 09:30
8	Financial bid opening date	25.05.2019 at 10:00
9	The place of bid opening	25.05.2019 at 16:00
10	Tender inviting officer	Collectorate Meeting Hall, Sitapur. Collector, Sitapur.

- आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर सम्पादित की जायेगी तथा समस्त मदिरा दुकानों हेतु उक्त वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/आफर दांता को DIGITAL SIGNATURE CERTIFICATE (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार करानी होगी तथा www.etender.up.nic.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तभी वह मदिरा की दुकानों हेतु आवेदन कर सकेगा। मदिरा की दुकान के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण दुकानों के वार्षिक एम०जी०क्यू०/लाइसेन्स फीस सहित आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexcise.in पर भी उपलब्ध है।

4. प्रत्येक दुकान का टेण्डर अलग अलग अपलोड किया जायेगा। प्रत्येक दुकान के साथ आन-लाइन निविदा सूचना भी अपलोड की जायेगी।
 5. ऑन-लाइन बिड सबमिशन से सम्बन्धित दिग्दर्शिका आवेदकों की सुविधा के लिये आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexcise.in पर अपलोड कर दी गयी है।
 6. ऐसे सभी आवेदक/आफरदाता, जिन्हें जनपद सीतापुर में आबकारी नीति 2019-20 के अनुसार 02 दुकानें पूर्व में अर्थात् वर्ष 2019-20 में प्रथम चरण तक, आवंटित हो चुकी है, वह इस प्रक्रिया में अर्ह नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि आवेदक को टेकिन्कल बिड के प्रारूप-1 में पूर्व में आवंटित दुकानों का विवरण देना अनिवार्य होगा। गलत सूचना/विवरण दिये जाने पर संभावित क्षति की भरपायी का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
 7. ई-टेण्डर/आफर की प्रक्रिया दिनांक 25.05.2019 तक सम्पन्न होगी। अतः अव्यवस्थित दुकानों के नियमित व्यवस्थापन होने तक दुकानों का नियमानुसार दैनिक आधार पर व्यवस्थापन कर संचालित कराया जाना है। इस सम्बन्ध में इच्छुक आवेदनकर्ता/आफरदाता कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सीतापुर से सम्पर्क कर आवश्यक नियम व शर्तों इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
 8. दुकानों की प्रतिभूति धनराशि का भुगतान राष्ट्रीय बचत पत्र की व्यवस्था के अतिरिक्त सावधि जमा रसीद के रूप में और ई-पेमेन्ट द्वारा भी किया जा सकेगा।
- शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगी। इसके अतिरिक्त अन्य अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सीतापुर व क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से सम्पर्क किया जा सकता है।



जिला आबकारी अधिकारी,
सीतापुर।


कलेक्टर/लाइसेन्स प्राधिकारी,
सीतापुर।

संख्या : / तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र-~~दैनिक समाचार~~ जनपद-सीतापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापित निर्धारित न्यूनतम सरकारी दर पर स्थानीय पृष्ठ पर दिनांक-05.05.2019 को प्रकाशित होने वाले अंक में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु पेपर कटिंग के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सीतापुर को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञापित जिला सीतापुर की वेबसाइट पर प्रदर्शित करवाने का कष्ट करें।
3. समस्त क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, जनपद सीतापुर को उपरोक्तानुसार प्रचार-प्रसार कर शतप्रतिशत व्यवस्थापन सुनिश्चित कराये जाने हेतु।


जिला आबकारी अधिकारी,
सीतापुर।

७८